1170

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल सेवा अपना धर्म है

पत्रांक सं0 4159/22

दिनांक 29/04/2022

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
रूहेलखण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी,
कैम्पस रूहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, पीलीभीत बायपास रोड,
बरेली।

विषय–पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 30 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–287/71–4–2022–एन–8/2016 दिनॉक 31 मार्च, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 25.04.2022 के आधार पर पोस्ट बेसिक बी0एससी0 (नर्सिंग) की 30 सीट का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुगति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः रूहेलखण्ड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित रूहेलखण्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, कैम्पस रूहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, पीलीभीत बायपास रोड, बरेली के प्रशिक्षण केन्द्र में 30 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के पोस्ट बेसिक बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या–

दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली को इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

संख्या– /71–4–2022–एन–8/2016

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषयः– Rohilkhand College of Nursing ,Bareilly International University, Campus Rohilkhand Medical College and Hospital, Pilibhit Bypass Road, Bareilly P.B.B.S.c New Course (30 Seats)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2715/22 दिनांक 26.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त

Rohilkhand College of Nursing ,Bareilly International University, Campus Rohilkhand Medical College and Hospital, Pilibhit Bypass Road, Bareilly for P.B.B.S.c New Course (30 Seats)
प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर पाठ्यक्रम में प्रवेश व संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट वृद्धि अनुगन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2–कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–302(1)/71–4–22–तद्दिनांक–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.सचिव, नर्सिंग कांउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
2.महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3.कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- Manager, Rohilkhand College of Nursing ,Bareilly International University, Campus Rohilkhand Medical College and Hospital, Pilibhit Bypass Road, Bareilly
5.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी
5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001 ☎ 2238846

5549/09

दिनांक 04/08/09

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
रूहेलखण्ड स्कूल आफ नर्सिंग,
रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।

विषयः **रूहेलखण्ड स्कूल आफ नर्सिंग, रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की भर्ती क्षमता 40 से बढ़ाकर 60 करने की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।**

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि भारतीय उपचार्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 02/JJL1/2000-INC दिनॉक 14.07.2009 के आधार पर आपके चिकित्सालय में भर्ती क्षमता 40 से बढ़ाकर 60 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं नर्सिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 1 सितम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/संबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।
5. चयन हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

Bareilly International University Bareilly Pin-243006

7. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. उपचारिका प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियॉं भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

9. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।

10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 1000/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू01800/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में एवं कांशनमनी रू.3000/– प्रवेश के समय केवल एक बार ही लिया जा सकता है।

11. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र संख्या 02/JUL1/2000-INC दिनाँक 14.07.2009 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू.15,000/– इस कार्यालय में जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य स्कूल आफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

Bareilly International University
Bareilly
Pin-243006